

न्यायालय अति० जिला कलक्टर, दौसा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|--|---|
| 4.7.2018 | <p>रामचन्द्र बनाम डॉ० गोवर्धन लाल शर्मा एसडीओ रामगढ पचवारा वगै० किस्म मुकदमा : स्थानान्तरण प्रा० पत्र मु०नं० 61/2018</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी पं० रामबाबू शर्मा को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्मन जारी हो। उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की जावे। पत्रावली दिनांक 17.8.2018 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> अति० जिला कलक्टर दौसा</p> | <p>तद्विरीर 10050 4-7-18 Notice 10239-49 17.7.18</p> |
| 24-8-18 | <p>गृह पेशी दिनांक 17-8-18 का राजमित्री अफिसर को धारित होना पत्रावली का पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी के 11 की तामील डाफ्ट का डाफ्टी के 1 की तामील कि लिखत नहीं हुई। अधिवक्ता के 10 को जारी नोटिस अफिसर तामील डाफ्ट पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तत्कालीन पीठाधीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा श्री गोरधन लाल शर्मा का स्थानान्तरण हो चुका है इसलिये विचारधीन प्रार्थी को स्थानान्तरण को आगे चलाने जाने का कोई कोचिले नहीं है अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में विचारधीन प्रकरण इनवाली रामचन्द्र बनाम सावित्री को अन्य सहाय न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी पत्रावली के स्थानान्तरण खारिज किया जाता है निवेदन की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा को भिजाई जाये। पत्रावली दिनांक 24-8-18 को प्रेर डाय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p><i>[Signature]</i> अति० जिला कलक्टर दौसा</p> | |

